वैश्विक चुनौतियों से निपटेगा फंड

वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया फंड की भूमिका और उपयोग

पश्चिम एशिया और वैश्विक संकटों से अर्थव्यवस्था सुरक्षित

नई दिल्ली, 13 मार्च. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में घोषणा की कि सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक स्थिरीकरण फंड बनाया है. इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों, जैसे पश्चिम एशिया में अचानक उत्पन्न संकटों, से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखना है.

सीतारमण ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 2.81 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च की अनुमति मांगी गई है, जबकि अनुमानित अतिरिक्त आय 80 हजार करोड़ रुपये होगी. इस हिसाब से वास्तविक अतिरिक्त खर्च 2.01 लाख करोड़ रुपये ही होगा. फंड का निर्माण सरकार को वित्तीय लचीलापन देगा और वैश्विक आर्थिक झटकों के दौरान त्वरित कदम उठाने की सुविधा प्रदान करेगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान के भीतर ही रहेगा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत है. इसके अतिरिक्त, किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी और गरीब कल्याण योजनाओं के लिए पर्याप्त निधि सुनिश्चित की गई है. रक्षा मंत्रालय और अन्य सामाजिक योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त अनुदान का प्रस्ताव लोकसभा में रखा गया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक स्थिरीकरण फंड बनाया है. यह फंड विशेष रूप से वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया गया है.

सीतारमण ने बताया कि यह फंड अचानक पैदा होने वाली आर्थिक झटकों, जैसे पश्चिम एशिया में संकट या अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतार-चढ़ाव, से देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षा कवच देगा. चालू वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार ने 2.81 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च की अनुमति मांगी है, जबकि अनुमानित अतिरिक्त आय लगभग 80 हजार करोड़ रुपये होगी. इसके अनुसार वास्तविक अतिरिक्त खर्च केवल 2.01 लाख करोड़ रुपये ही होगा. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष का राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान के भीतर ही रहेगा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत है. इस फंड के साथ-साथ सरकार ने किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी के लिए 19,230 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 23,641 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च की मांग की है.

घरेलू बाजार में निरंतर गिरावट

सेंसेक्स में 1470.50 अंक यानी 1.93 प्रतिशत की गिरावट

निफ्टी 488.05 अंक यानी 2.06% गिर कर 23151.10 अंक पर बंद हुआ

मुंबई, 13 मार्च. ईरान युद्ध के चलते वैश्विक बाजार में गहराते संकट के बीच भारत के शेयर बाजारों में तेज गिरावट का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा और प्रमुख सूचकांकों में दो प्रतिशत से ज्यादा की बड़ी गिरावट दर्ज की गयी.

पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर ईंधन और मुद्रास्फीति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते आज स्थानीय शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली दिखी. मार्जिन मनी का दबाव बढ़ने से निवेशकों को अपने अल्पकालिक दबाव से निपटने के लिए बिकवाली करनी पड़ रही है. इन सबके सम्मिलित प्रभाव से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 प्रमुख शेयरों वाला निफ्टी-50 कल की तुलना में 488.05 अंक यानी 2.06 प्रतिशत गिर कर 23151.10 अंक पर बंद हुआ. बीएसई30 सेंसेक्स में 1470.50 अंक यानी 1.93 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी और यह 74563.92 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान बीएसई30 शुरू में ही बड़ी गिरावट के साथ 75,444.22 पर खुलने के बाद सुधार कर 75,576.20 तक गया लेकिन लेकिन यह तेजी टिकी नहीं और लगातार गिरावट के बीच एक समय दिन के न्यूनतम 74,454.60 पर पहुंचने के बाद अंत में 74,563.92 पर बंद हुआ.

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की पहल

चंडीगढ़, 13 मार्च. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने गुरुवार को हरियाणा में महिलाओं, किसान समूहों के सशक्तीकरण के लिए महिलाओं के नेतृत्व में विकास तथा किसान समूहों को सशक्त बनाने के लिए गुरुवार को कई पहलों की शुरुआत की.

इन पहलों में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मजबूत करने, मूल्य संवर्धन क्षमता बढ़ाने और जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुवार को हरियाणा के कैथल और करनाल जिलों में ग्रामीण विकास की इन महत्वपूर्ण पहलों को शुरू किया. एक आधिकारिक अनुसार नाबार्ड के चेयरमैन डॉ. शाजी के.वी. ने कैथल जिले में इनका शुभारंभ करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को समर्थन देना, आजीविका के अवसरों में विविधता लाना और हरियाणा में टिकाऊ ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना है.

नाबार्ड चेयरमैन ने कैथल जिले के फरल गांव में उन्होंने सरस धारा दूध प्रसंस्करण इकाई की आधारशिला भी रखी और विकसित एफपीओ सरसों तेल प्रसंस्करण इकाई तथा उसके बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया. नाबार्ड की ओर से इस गांव में कर्ज सुलभता कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें बैंक, क्रियान्वयन एजेंसियां, एफपीओ प्रतिनिधि और लाभार्थी शामिल हुए, ताकि ग्रामीण उद्यमों के लिए ऋण संपर्क को मजबूत किया जा सके. डॉ शाजी ने जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप के सदस्यों तथा खरखौदा ब्लॉक ऑर्गेनिक एफपीओ और जींद किसान जन निर्माण एफपीओ को स्वीकृति चेक भी सौंपे.

नाबार्ड चेयरमैन ने करनाल जिले के मंगलोरा गांव में महिला-नेतृत्व वाले एफपीओ हरियाणा अतुल्य नारी शक्ति (हंस) द्वारा स्थापित डेयरी प्रसंस्करण इकाई (बिलोना घी निर्माण) का उद्घाटन किया और महिला सदस्यों व लाभार्थियों से बातचीत की. उन्होंने इन कार्यक्रमों में कहा, हरियाणा ऐसा राज्य बनकर उभरा है जहां प्रगतिशील संस्थान, मजबूत किसान समूह और महिला-नेतृत्व वाले उद्यम ग्रामीण परिवर्तन को आगे बढ़ा रहे हैं. पिछले एक दशक में महिलाओं द्वारा संचालित एफपीओ को बढ़ावा देने और राज्य भर में लगभग 13,000 महिलाओं को संगठित करने के कार्य के साथ नाबार्ड उनके उद्यमशील मार्ग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

पैकेजिंग उद्योग ऑटोमेशन, मानक सुधारे, सामग्री बचाए : अजय भादू

नई दिल्ली, 13 मार्च. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अजय भादू ने गुरुवार को कहा कि भारतीय पैकेजिंग उद्योग ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से उत्पादकता तथा उत्पाद सुरक्षा को बढ़ाने के साथ सामग्री के व्यर्थ नष्ट होने को कम कर सकता है.

श्री भादू ने कहा कि क्वालिटी और स्टैंडर्डाइज्ड पैकेजिंग भारतीय उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है. वह यहां भारतीय पैकेजिंग संस्थान द्वारा नई दिल्ली में आयोजित पैकेजिंग उद्योग के छठे अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आईएसपीआई 2026 का उद्घाटन कर रहे थे. उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट और टिकाऊ पैकेजिंग पर दिया जोर देते हुए कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, पारिस्थिकी की दृष्टि से स्वस्थ पैकेजिंग तकनीकों की बढ़ती आवश्यकता और उपभोक्तओं की बदलती अपेक्षाओं के कारण पैकेजिंग इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है. इस सम्मेलन में लगभग 1500 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री प्रतिनिधि, अकादमिक विशेषज्ञ, रिसर्चर्स एवं स्टार्ट-अप शामिल हैं.

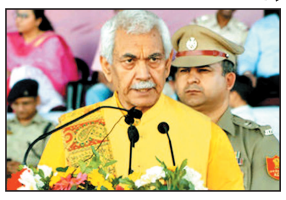

सोना-चांदी के दामों में आया उतार-चढ़ाव

1,748 रुपए सस्ता हुआ सोना

8,350 रुपए लुढ़की चांदी

नई दिल्ली, 13 मार्च. वैश्विक तनाव और निवेशकों की बदलती रणनीति के बीच शुक्रवार को सोना और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,748 रुपए गिरकर 1.58 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया.

इससे एक दिन पहले सोने का भाव 1.60 लाख रुपए था. इसी तरह चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली और एक किलो चांदी 8,350 रुपए सस्ती होकर 2.60 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई. विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव तथा वैश्विक बाजार में अनिश्चितता के कारण निवेशकों का रुझान फिलहाल सोने-चांदी से हटकर नकदी की ओर बढ़ रहा है. इसके अलावा अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम होने से भी कमोडिटी बाजार पर दबाव पड़ा है. हालांकि पिछले कुछ महीनों में सोना और चांदी दोनों ने रिकॉर्ड ऊंचाई भी छुई थी, लेकिन हालिया गिरावट ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है.

वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच शुक्रवार को सोना और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,748 रुपए घटकर 1.58 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. एक दिन पहले यानी 12 मार्च को सोना 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट देखने को मिली. एक किलो चांदी का भाव 8,350 रुपए घटकर 2.60 लाख रुपए प्रति किलो पर आ गया, जबकि इससे पहले इसका दाम 2.68 लाख रुपए प्रति किलो था.

डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे और फिसला

मुंबई, 13 मार्च. अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गुरुवार को 25 पैसे और टूट गया. कारोबार की समाप्ति पर डॉलर कल की तुलना में 24 पैसे मजबूत होकर 92.25 रुपये के भाव पर चल रहा था. रुपया इस समय डॉलर के मुकाबले अपने रिकार्ड न्यूनतम स्तर पर है. कल डॉलर 16 पैसे मजबूत हुआ था. कल का बंद भाव 92.01 रुपये प्रति डॉलर था. कच्चे तेल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में उछाल, घरेलू शेयर बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की निरंतर बिकवाली पिछले कुछ महीनों से मंहगाई दर में बढ़ोतरी से रुपये पर दबाव बना हुआ है.

एग्रीनोवेट लि. ने 3.40 करोड़ का दिया लाभांश

नई दिल्ली, 13 मार्च. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को आज दिल्ली में एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3,39,97,362 का लाभांश अदा किया.

एग्रीनोवेट इंडिया लि., कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम है. यह वितरण निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एग्रीनोवेट इंडिया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सृजनात्मक क्षमता और किसानों की व्यावहारिक आवश्यकता के बीच एक सशक्त पुल का कार्य कर रहा है. कृषि नवाचारों के हस्तांतरण और तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय है. यह आत्मनिर्भर भारत के कृषि लक्ष्य को सशक्त करने वाली पहल है. कार्यक्रम में एग्रीनोवेट इंडिया लि. के अध्यक्ष एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट तथा गैर-सरकारी निदेशक श्री आनंद मोहन अवस्थी उपस्थित थे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रवीण मलिक ने कहा कि यह लाभांश कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता, सुशासन और निरंतर नवाचार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. 2011 में स्थापित, एग्रीनोवेट इंडिया लि., आईसीएआर की व्यावसायिक शाखा के रूप में कार्य करती है. संस्थान का उद्देश्य कृषि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को व्यावहारिक वाणिज्यिक उपयोग में लाकर किसानों, स्टार्ट-अप्स और उद्यमियों को लाभान्वित करना है.यह लाभांश वितरण एग्रीनोवेट इंडिया की वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, और भारत के कृषि नवाचार पारिस्थितिकी को सशक्त बनाने की उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को और बल प्रदान करता है.

बाजार में अनाज, दालों में तेजी, खाद्य तेलों में मिला-जुला रुख

नयी दिल्ली, 13 मार्च. दिल्ली थोक जिंस बाजार में गुरुवार को अनाज और दाल-दलहानों में कुल मिला कर तेजी का रुख रहा. खाद्य तेलों में मूंगफली और वनस्पति तेल को छोड़ बाकी तेलों के भाव चढ़े हुए थे.

चीनी और गुड़ बाजार में सामान्य मांग के बीच नरमी का रुख दर्ज किया गया. विदेशी बाजारों में मलेशिया के बुरसा डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम आयल मई वायदा भाव 42 रिंगिट और तेज हो कर 4541 रिंगिट प्रति टन पर पहुंच गया. बुधवार को पाम आयल वायदा 71 रिंगिट की मजबूती के साथ 4,499 रिंगिट प्रति टन के आस पास चल रहा था. अमेरिका सोया तेल मई वायदा भी 1.00 प्रतिशत की तेजी से साथ 67.83 डॉलर प्रति पौंड के स्तर पर बोला जा रहा था. कल यह 67.33 सेंट प्रति पौंड के स्तर पर था. स्थानीय बाजार में औसत दर्ज का चावल 15 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी के साथ 3865.49 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं दड़ा 11 रुपये कड़क हो कर 2808.21 रु.पर पहुंच गया. आटा में दो रु. की हल्की तेजी दिखी. दालों में चना दाल 8 रु. प्रति क्विंटल, अरहर 20 रुपये प्रति क्विंटल तेजी पर था. उड़द, मूंग और मसूर के भाव भी हल्के तेज थे. तेलों में तेल सरसों 23 रुपये, सोया 65 रुपये, सूरजमुखी 46 रुपये तथा पाम आयल का भाव 31 रुपये प्रति क्विंटल चढ़ा हुआ था.

खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 3.2 प्रश

नई दिल्ली, 13 मार्च. खाद्य पदार्थों, पर्सनल केयर के सामान और तम्बाकू श्रेणी की वस्तुओं के खुदरा भावों तेजी के चलते देश में खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी माह में बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गयी. यह पिछले 10 महीनों में खुदरा मुद्रास्फीति का उच्चतम स्तर है.

विश्लेषकों के अनुसार यह वृद्धि मुख्य रूप से पर्सनल केयर उत्पादों, खाद्य पदार्थों और तंबाकू श्रेणी में कीमतें बढ़ने से है. सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी खुदरा मूल्य सूचकांक के अनुसार फरवरी 2026 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की खुदरा मुद्रास्फीति क्रमश 3.37 प्रतिशत और 3.02 प्रतिशत थी.

प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार इस साल फरवरी माह में खाद्य मुद्रास्फीति 3.47 प्रतिशत थी. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ये आंकड़े नई श्रृंखला के तहत दूसरी बार आए हैं पर इस नयी श्रृंखला इस नई श्रृंखला के आधार पर फरवरी 2021 से मुद्रास्फीति के मुख्य दरों का आकलन किया जा सकता है.

इससे पहले इससे ऊंची खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2025 में 3.3 प्रतिशत थी. रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिती नायर के अनुसार जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति में 0.47 अंक की वृद्धि में लगभग 0.44 अंक की बढ़ोतरी केवल खाद्य और पेय श्रेणी में महंगाई के चलते हुई है. फरवरी में खाद्य और पेय पदार्थ श्रेणी में मुद्रास्फीति 3.35 प्रतिशत रही, जो जनवरी में 2.1 प्रतिशत थी.

पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ% श्रेणी में मुद्रास्फीति 2.9 प्रतिशत से बढ़कर 3.5 प्रतिशत हो गई.

इसी तरह पर्सनल केयर और अन्य उत्पादों के खंड में मुद्रास्फीति सालाना आधार पर 19 प्रतिशत से अधिक बनी रही. फरवरी महीने में यह बढ़कर 19.6 प्रतिशत हो गई, जबकि जनवरी में 19.02 प्रतिशत थी. बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि इस श्रेणी में तेज वृद्धि का मुख्य कारण सोना और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी है.

खाद्य और ईंधन को छोड़कर कोर (मुख्य) मुद्रास्फीति जनवरी और फरवरी 2026 में 3.4 प्रतिशत पर स्थिर रही. अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण ईंधन आपूर्ति में बाधा आने से मार्च में महंगाई पर और दबाव पड़ सकता है.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	101028829	होम लोन	26.02.2026	6,90,176.45/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नाम: 1. दीपक सुथार 2. शांतिलाल उकारलाल 3. राधा सुथार

संपत्ति का पता: मध्य प्रदेश-458667 के मंदसौर गांव, गांव दलूदा रेल, तहसील दलूदा, सर्वे नंबर 938/1/1, वार्ड नंबर 14 में स्थित मकान नंबर 714, कुल क्षेत्रफल 3982.65 वर्ग फुट, की पूरी संपत्ति, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में स्वयं की भूमि और सड़क, पश्चिम में जीवन का मकान, उत्तर में स्वयं की भूमि, दक्षिण में सड़क।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 14.03.2026
स्थान: मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर

(श्री रोशन राय अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष क्रमांक - 109)

क्रमांक /597/अकरी-4/2026 **प्रकरण क्रमांक/ /ब-121/2025-26**
इन्दौर, दिनांक 09/03/2026

विज्ञप्ति प्रकाशन

प्रति,

1. श्रीमती लविना खूबचंदानी पिता श्री विजय खूबचंदानी
पता- 53 बी सिल्वर पैलेस कालोनी अन्नपूर्णा रोड इन्दौर म.प्र.
2. श्री आयुष ओझा पिता श्री असीम ओझा
पता -: 36 कुंजवन कालोनी केशन बाग रोड़ तहसील व जिला इन्दौर म.प्र. 452009

द्वारा :- तहसील/सांवेर, राऊ/पंजीकृत, डाक/समाचार, विज्ञप्ति

--0--

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, द्वारा निवेदन किया गया कि बंधक संपत्ति - प्रकोष्ठ क्रमांक 103 प्रथम मंजिल शारदा भावन भूखंड क्रमांक 101 सिद्धीपुरम कॉलोनी ग्राम तेजपुर गड़बड़ी तहसील व जिला इन्दौर म.प्र., जिसका कुल क्षेत्रफल 550 वर्गफीट अर्थात 51.11 वर्गमीटर पर बकाया ऋण राशि रु 11,04,548.57 +/- ब्याज व अन्य खर्चे का चुकारा आपके द्वारा नही किया गया और न ही प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूति के रुप मे रखी सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर (कक्ष क्रमांक जी-109 में **दिनांक 14/03/2026** को **दोपहर 02: 00** बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(रोशन राय)
अपर जिला दण्डाधिकारी
जिला, इन्दौर (म.प्र.)

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के तहत, अधोहस्ताक्षरी कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के तहत अधिकृत अधिकारी है। उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") को संबंधित मांग नोटिसों में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त उधारकर्ता(ओं) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर सीजीएचएफएल को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करें, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथियों से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज का भी भुगतान करें, जो उक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों/लिखितों (यदि कोई हो) के तहत देय है। ऋण के उचित पुनर्भुगतान की सुरक्षा के रूप में, उक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियों को सीजीएचएफएल के पास गिरवी रखा गया है।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(ऋण खाता संख्या) LNHEKG1000123882 (पुराना) 511000000561712 (नया) (खरगोन शाखा) श्री अशोक काग (उधारकर्ता) श्रीमती गीता काग, श्री भगवान काग (सह-उधारकर्ता)	06.03.2026 रु. 5,86,686/- (04.03.2026 तक)	पीएच क्रमांक 01 पैकी, ग्राम पंचायत अभिलेख क्रमांक 34, भूमि क्षेत्रफल 600.76 वर्ग फुट (अर्थात 55.83 वर्ग मीटर), वार्ड क्रमांक 02, ग्राम साली, तहसील राजपुर, जिला बरवानी, मध्य प्रदेश - 451556 में स्थित वह आवासीय संपत्ति, जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः उत्तम जी काग का घर, दक्षिणः बाबूलाल जी काग का घर, पूर्वः सार्वजनिक सड़क, पश्चिमः सुभाष माली की भूमि।
2.	(ऋण खाता संख्या LNHLJIR000061972 (पुराना) 50300000801713 (नया) (जीरापुर शाखा) श्री गोकुल सिंह बंजारा (ऋणकर्ता) श्रीमती गुड्डी बाई बंजारा (सह-ऋणकर्ता)	06.03.2026 रु. 3,92,287/- (04.03.2026 तक)	मध्य प्रदेश 465445, जिला अगर मालवा, तहसील नलखेड़ा, वार्ड संख्या 17, पीएच संख्या 7, पदाना में स्थित मकान संख्या 348, जिसका क्षेत्रफल 4930 वर्ग फुट है और जिसमें भूमि एवं भवन शामिल हैं, की संपूर्ण संपत्ति निम्नलिखित प्रकार से परिबद्ध हैः उत्तरः अंतसिंह का भूखंड, दक्षिणः सामान्य सड़क, पूर्वः मेगा जी का मकान, पश्चिमः रामलाल का मकान।
3.	(ऋण खाता संख्या) LNHLIND000038473 (पुराना) 50300000760528 (नया) (इंदौर शाखा) श्री सदाशिव जयसवाल (उधार) श्रीमती किरण बाई, श्री सुदर्शन जी (सह-उधारकर्ता), श्री मनमोहन जयसवाल (गारंटर)	06.03.2026 रु. 2,40,726/- (04.03.2026 तक)	पिपलकोटा ग्राम में स्थित आवासीय सह वाणिज्यिक संपत्ति वाली वह भूमि और भवन, पटवारी हल्का क्रमांक 27 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 430 वर्ग फुट (यानी 39.96 वर्ग मीटर) है, तहसील कन्नोद, जिला देवास, मध्य प्रदेश - 455336 में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: दक्षिणः गणपति पत्नी मंगिलाल की भूमि, उत्तरः सरकारी सड़क, पूर्वः कोदार पुत्र हरकिशन राठौर का थाला, पश्चिमः जगदीश पुत्र बद्री का थाला।

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीएचएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से उक्त उधारकताओं के लागत और परिणामों के जोखिम पर होगी। उक्त उधारकताओं को अधिनियम के तहत सीजीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अभिनेता नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थान: इंदौर
दिनांक: 14.03.2026

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी),
कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के लिए

मध्यप्रदेश शासन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

कार्यालय कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास वि. / यां. संभाग क्र. 15,

ई-1 /7, नर्मदा कॉलोनी, स्कीम नं. 78 विजय नगर, इन्दौर (म. प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना वास्ते प्रकाशन

निविदा सूचना 141, 143 एवं 160 द्वितीय आमंत्रण / ई टेण्डर / 2025-26 / व.ले.लि. दि. 10/03/2026

स.क्र.	ई.निविदा क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित राशि (रू. में)	धरोवर राशि (रू. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदाकार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2026_NVDA_481105_2	जोबट परियोजना नानपुर जिला अलीराजपुर (म.प्र.) के अन्तर्गत एल.बी.सी.के आर.डी. 7125 मी. ग्राम सुसारी पर स्थित 02 नग ब्रान्च मायनर गेट (सब-डिस्ट्रब्यूटरी एल-8 एम.आर. 2)एवं आर.डी. 2815 मी. ग्राम अमलाल पर स्थित 01 नग मायनर गेट (एल-8 डिस्ट्रब्यूटरी) की सर्विसिंग, सुधार एवं मरम्मत का कार्य।(द्वितीय आमंत्रण)	रु. 244836.00 (रूपये दो लाख चवालीस हजार आठ सौ छत्तीस) मात्र	रु. 4897.00 (रू. चार हजार आठ सौ सित्न्यानवे) मात्र	रु. 2000.00 (दो हजार) मात्र	लो.नि.वि. भोपाल मे केन्द्रियकृत पद्धती के अंतर्गत पंजीकृत	15 दिन
2	2026_NVDA_481142_2	ओंकारेश्वर परियोजना के फेस-3 के मनावर जिला धार (म.प्र.) मे स्थित केनाल गेट डी.एम. 50 (गेट साईज 300 x 300) एवं डी एम. 51 (गेट साईज 600 x 600) के सुधार एवं मरम्मत का कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	रु. 278666.00 (रूपये दो लाख अठहोत्तर हजार छः सौ छासठ) मात्र	रु. 5573.00 (रू.पांच हजार पांच सौ तिहोत्तर) मात्र	रु. 2000.00 दो हजार) मात्र	लो.नि.वि. भोपाल मे केन्द्रियकृत पद्धती के अंतर्गत पंजीकृत	15 दिन
3	2026_NVDA_482142_2	जोबट परियोजना नानपुर जिला अलीराजपुर में रेडियल गेट खुलने एवं बंद होने की पूर्ण लंबाई मीटर में प्रदर्शित करने के लिये डिस्प्ले यूनिट प्रदान करना व लगाये जाने का कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	रु. 846720.00 (रूपये आठ लाख छियालिस हजार सात बीस) मात्र	रु. 16934.00 (रू. सोलह हजार नौ सौ चोतीस) मात्र	रु. 2000.00 दो हजार) मात्र	लो.नि.वि. भोपाल मे केन्द्रियकृत पद्धती के अंतर्गत पंजीकृत तथा विद्युत लायसेन्स 'अ' श्रेणी	45 दिन

निविदा कार्य के प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि : 24/03/2026, 17:30 तक (केवल आनलाइन)
निविदा की धरोहर राशि खुलने की तिथि : 26/03/2026, 10:30 से 26/03/2026,17:30 तक (केवल आनलाइन)
प्राइज बीड खुलने की तिथि : 26/03/2026, 10:30 से 26/03/2026, 17:30 तक (केवल आनलाइन)

निविदा प्रपत्र को उपरोक्त वेबसाइट पर केवल ऑन लाइन क्रय किया जा सकता है। ऑन लाइन पर भुगतान डेबिट/ कैश कार्ड या इन्टरनेट बैंकिंग अकाउन्ट्स के माध्यम से किया जा सकता हैं। निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.mptenders.gov.in का अवलोकन करें।

कार्यपालन यंत्री

G27183/25

न. वि. वि/यां सं. क्र 15, इन्दौर